आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद 19/11-12 / 19/2013 विरेन्द्र प्रसाद

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
23.05.2017	***आदेश*** दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में अधिवक्ता के माध्यम् से श्री विरेन्द्र प्रसाद वर्मा, पे0–स्व0 रामस्वरूप वर्मा, साकिन–हरदाशचक, पोस्ट–कोशी कॉलेज, खगड़िया, थाना–खगड़िया (मुफ्फसिल) द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील वाद सं0 $\frac{19/11-12}{19/13}$ श्री विरेन्द्र प्रसाद वर्मा, पे0–स्व0 रामस्वरूप वर्मा, साकिन–हरदाशचक, पोस्ट–कोशी कॉलेज, खगड़िया, थाना–खगड़िया (मुफ्फसिल) ने अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 738 दिनांक 06.11.2011 से विछुब्ध होकर दाखिल किया है। दाखिल अपील में कहा गया है कि दिनांक–23.10.2011 को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता की दूकान की जाँच की गयी तथा उक्त तिथि को अपीलकर्त्ता की दुकान खुली हुई थी एवं अपीलकर्त्ता उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान एवं किससन तेल का वितरण कर रहा था। उसी वक्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपीलकर्त्ता के दूकान से संबंधित वितरण पंजी की जाँच कर सत्यापित भी किये। उनका यह भी कहना है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष ही उपभोक्ताओं को उचित कीमत एवं सही माप के अन्तर्गत खाद्यान एवं किरासन तेल का वितरण किया जा रहा था। माह अगस्त, 2011 का खाद्यान्न वितरण अगस्त माह का कूपन लेकर किया जा रहा था। चूँकि सितम्बर, 2011 का खाद्यान्न राज्य खाद्य निगम के द्वारा अपीलकर्ता को नहीं दिया गया था, इसलिए सत्रह उपभोक्ताओं द्वारा दिया गया ब्यान सरासर झूठ है। इसके अलावे ढाई लीटर किरासन तेल की आपूर्ति तथा एक किलो कम अनाज का वितरण एवं एक माह का खाद्यान्न देकर दो माह का कूपन फाड़ने का आरोप सरासर झूठ एवं तथ्यहीन है। 17 उपभोक्ताओं द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप ग्रामीण राजनीति एवं गलत मंशा से प्रेरित होकर लगाया गया है। उनका यह भी कहना है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपीलकर्त्ता का स्पष्टीकरण दिनांक 29.10.11 को संतोषप्रद नहीं मानकर अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गई है जो अनुचित एवं प्रकृति न्याय के विरूद्ध है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के	

द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में तथा अवर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना सं0 5738 दिनांक 23.06.2011 में सार्वजनिक जन वितरण आदेश 2001 की कंडिका–7 में निलंबन शब्द को विलोपित करने के कारण अपीलकर्त्ता की अनुज्ञप्ति सं0 105 के/2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 788 दिनांक 06.11.2011 को निरस्त कर अनुज्ञप्ति सं0 105 के/2007 को पुनः बहाल करने का आदेश दिया जाए।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के जाँच के समय उपभोक्ताओं को सही माप एवं उचित कीमत लेकर खाद्यान का वितरण किया जा रहा था। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दूकान में संबंधित वितरण पंजी को जाँच कर सत्यापित भी किये थे। उपभोक्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप सर्वथा निराधार है। उपभोक्ताओं द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लगाए गये आरोप ग्रामीण राजनीति एवं गलत मंशा के प्रेरित होकर सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम है। इसलिए इस अपील को स्वीकार किया जाय।

विशेष लोक अभियोजक ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि :–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 723 दिनांक 13.10.2011 के अलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 23.10.11 को जनवितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान की जाँच की गयी।

2. जाँच के दौरान 17 उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया कि बिक्रेता द्वारा 2½ ली0 किरासन तेल दिया जाता है। खाद्यान निर्धारित मापदंड के अनुसार एक किलो कम दिया जाता है तथा राशि भी अधिक प्राप्त की जाती है। एक माह का खाद्यान दिया जाता है तथा दो माह का कूपन फाड़ लिया जाता है।

3. उपरोक्त बिन्दुओं पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री विरेन्द्र प्रसाद वर्मा से कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया ने ज्ञापांक 761 दिनांक 27.10.11 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जन वितरण प्रणाली विक्रेता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पत्रांक 143 दिनांक 03.11.2011 से बिक्रेता के स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं रहने के कारण अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशांसा किया गया।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा किये गये अनुशंसा एवं सरकार के अवर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना सं0–5738 दिनांक 23.06.2011 में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली आदेश 2001 की कंडिका–7(Vii) में निलंबन शब्द

विलोपित करने के कारण कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 738 दिनांक 06.11.2011 से श्री विरेन्द्र प्रसाद वर्मा जन वितरण प्रणाली विक्रेता, संसारपुर के अनुज्ञप्ति सं0–105 के 2007 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री विरेन्द्र प्रसाद वर्मा, सा0–हरदाशचक, पो0–कोशी कॉलेज, खगड़िया, थाना–मुफसिल द्वारा किरासन तेल एवं खाद्यान कम देने एवं अधिक राशि लेने का 17 उपभोक्ताओं द्वारा लिखित रूप से ब्यान दिया गया, जो अभिलेखवद्ध है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता श्री बिरेन्द्र प्रसाद वार्मा द्वारा किरासन तेल एवं खाद्यान कम देना एवं अधिक राशि लेना अनुज्ञप्ति की शर्तो का घोर उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 738, दिनांक 06.11.2011 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया

समाहर्त्ता,
खगड़िया